भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2507

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

पीएम-सेतु के तहत उन्नत आईटीआई

2507. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल विकास और राओजगर योग्यता परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्यक्षेत्रों में आईटीआई क्लस्टरों के सह-प्रबंधन के लिए अग्रणीय उद्योगों के साथ भागीदारी में विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) अपनाने और कार्यकरण के लिए अपनाए गए संस्थागत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश, संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की श्रम बाजार की मांग और विशिष्ट क्षेत्रीय क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना और नए व्यापार शुरू करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) पीएम-सेतु के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने सहित क्षमता निर्माण के क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में उन्नत प्रयोगशालाओं, आधुनिक मशीनों तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) आईटीआई एवं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में प्रशिक्षण प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार करना;

(ii) उद्योग मानकों के अनुरूप अवसंरचना एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;

(iii) विशेष रूप से नवोन्मेषी एवं उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;

(iv) मांग-आधारित कौशल विकास तथा बेहतर रोजगार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ सहभागिता को मजबूत करना; और

(v) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि करना।

इस योजना के अंतर्गत दो घटक शामिल हैं:

(i) घटक-I: 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत उन्नयन, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

(ii) घटक-II: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एवं लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि, जिसमें वैश्विक सहभागिता के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।

पीएम-सेतु योजना के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) द्वारा प्रस्तुत छह (06) कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को अनुमोदित किया गया है, जिनमें तेलंगाना राज्य की तीन, आंध्र प्रदेश राज्य की एक, ओडिशा राज्य की एक तथा गुजरात राज्य की एक योजना शामिल है। अनुमोदित क्लस्टरों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य ने पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत 20 क्लस्टरों, जिनमें 20 हब आईटीआई तथा 81 स्पोक आईटीआई शामिल हैं, की पहचान की है। राज्य सरकार ने उद्योगों से अभिरुचि आमंत्रित करने हेतु प्रस्ताव जारी किया है। वर्तमान में, राज्य की कोई भी प्रस्ताव अथवा कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के समक्ष विचाराधीन अथवा अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र ने पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत एक (01) क्लस्टर, जिसमें एक (01) हब आईटीआई तथा तीन (03) स्पोक आईटीआई शामिल हैं, की पहचान की है। वर्तमान में, संघ राज्य क्षेत्र का कोई भी प्रस्ताव अथवा कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के समक्ष विचाराधीन अथवा अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

(ख) किसी क्लस्टर में शामिल किए जाने वाले राजकीय आईटीआई के चयन के मानदंड संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योगों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं, ताकि उनका उभरती कौशल आवश्यकताओं, स्थानीय औद्योगिक-क्षमता तथा राज्य सरकारों एवं उद्योग हितधारकों की संयुक्त सहभागिता के साथ समुचित सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।

पीएम-सेतु के अंतर्गत गठित संबंधित राज्य संचालन समितियों (एसएससी) के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह लचीलापन प्रदान किया गया है कि वे रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/प्रस्ताव हेतु आमंत्रण (आरएफपी) के स्तर पर उद्योगों की भागीदारी हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड (जैसे वार्षिक कारोबार एवं कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या) निर्धारित कर सकें, ताकि विश्वसनीय अग्रणी उद्योग भागीदारों (एआईपी) की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) आईटीआई के उन्नयन का कार्य करते हैं तथा स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन तथा उद्योग में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित आवश्यक उपायों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा, एसपीवी अनुमोदित कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तथा प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक परिचालन योजना (एओपी) की तैयारी एवं कार्यान्वयन को भी सुलभ बनाते हैं।

(ग) पाठ्यचर्याओं की समीक्षा एवं पुनरीक्षण एक सतत एवं आवश्यकता-आधारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें तकनीकी प्रगति तथा उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूदा पाठ्यचर्याओं का आकलन उभरती प्रौद्योगिकियों, बदलते व्यावसायिक मानकों, उद्योग की मांग, नियोजन रुझानों, शिक्षुता संबंधी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण परिणामों तथा कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाता है।

पाठ्यचर्या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों, सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नियोजकों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाता है।

मूल्यांकन तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रमों में नई प्रौद्योगिकियों, उद्योग 4.0 के अनुप्रयोगों, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्वचालन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा परिणाम-आधारित शिक्षण को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(घ) इस योजना के अनुमोदन अर्थात् 7 मई, 2025 से अब तक, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत क्षमता-निर्माण पहल के अंतर्गत कुल 1136 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 46 अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय आईटीआई से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत केवल भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर तथा लुधियाना स्थित पाँच मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है।

अनुलग्नक-I

"पीएम-सेतु के तहत उन्नत आईटीआई" के संबंध में श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अटर्ड्कित प्रश्न संख्या 2507 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

तालिका -1: राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए क्लस्टर का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्लस्टर का नाम	हब आईटीआई	स्पोक आईटीआई
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, कांचरापालम	राजकीय आईटीआई (महिला), विशाखापत्तनम राजकीय आईटीआई, बोब्बिली, राजकीय आईटीआई नरसीपटनम
2	ओडिशा	क्योंझर-बारबिल क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, बारबिल	राजकीय आईटीआई आनंदपुर, सरकारी आईटीआई कोइरा, राजकीय आईटीआई करंजिया, राजकीय आईटीआई बारकोटे
3	गुजरात	सूरत क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, सूरत	राजकीय आईटीआई सूरत (महिला), राजकीय आईटीआई हजीरा, राजकीय आईटीआई बारडोली, राजकीय आईटीआई (महिला), सचिन
4	तेलंगाना	ओल्ड सिटी क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, पुराना शहर	राजकीय आईटीआई वारंगल, राजकीय आईटीआई (बॉयज़), नलगोंडा राजकीय आईटीआई विकाराबाद, राजकीय आईटीआई पंजागुड़ा
5	तेलंगाना	पाटनचेरु क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, पाटनचेरु	राजकीय आईटीआई नलगोंडा (नया), राजकीय आईटीआई मार्पल्ली, राजकीय आईटीआई भोंगिर, राजकीय आईटीआई शादनगर
6	तेलंगाना	संगारेड्डी क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, संगारेड्डी	राजकीय आईटीआई हथनूरा, राजकीय आईटीआई मेडक, सरकारी आईटीआई येलारेड्डी, राजकीय आईटीआई दुब्बाका
